मेसर्स पीसॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

बनाम

भारत संघ और अन्य ।

(2010 की सिविल अपील सं. 6144)

/

5 सितंबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 -s.173L-केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम-उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए दावा-यदि निर्धारिती लौटाए गए माल के मूल्य की सीमा तक वापसी का हकदार है-आयोजितःनिर्धारिती द्वारा लौटाए गए माल के मूल्य पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया-लौटाए गए माल का मूल्य निर्मित माल में पाए गए दोषों पर निर्भर करता है जो लौटाए जाते हैं-यह दोषों को ध्यान में रखते हुए भिन्न होता है-इसलिए, निर्धारिती को लौटाए गए माल की प्रत्येक खेप के संबंध में साक्ष्य का नेतृत्व करना पड़ता है, जिसे निर्धारिती वर्तमान मामले में साबित करने में विफल रहा-इसके अलावा, जैसा कि उपायुक्त द्वारा 8 रुपये से 10 रुपये प्रति किलोग्राम पर निर्धारित लौटाए गए माल का मूल्य पहले से भुगतान की गई शुल्क की राशि से कम पाया जाता है, अपीलकर्ता को भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी से सही ढंग से इनकार कर दिया जाता है-धनवापसी का इनकार एस के अनुरूप है।173 एल (वी)-न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा वापस किए गए माल के मूल्य पर दर्ज समवर्ती निष्कर्षों में वर्तमान कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से जब उपायुक्त/मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा निर्धारिती को अवसर देने के बाद इसका निर्धारण किया गया था-न तो उपायुक्त और न ही न्यायाधिकरण या यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी निर्धारिती के धनवापसी दावे को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि की है।

/

/

/

/

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 -s.173L-धनवापसी के लिए मूल्य।173 एल-आयोजितःधनवापसी के मूल्य पर विचार करने के उद्देश्य से यू /s.173L जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है वह है लौटाए गए माल का मूल्य-एस के खंड (वी) के स्पष्टीकरण के अनुसार। 173 एल, "मूल्य" का अर्थ है उत्पाद शुल्क वाले माल का बाजार मूल्य, न कि उसका शुल्क मूल्य-इसलिए, निर्धारिती की ओर से यह प्रस्तुत करना कि लौटाए गए माल को कच्चे माल के रूप में माना जा सकता है और इसलिए कच्चे माल के "मूल्य" पर धनवापसी का निर्धारण करते समय "मूल्य" के उद्देश्य से विचार किया जा सकता है।173 एल को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

/

/

220 ए.

221

मेसर्स पीसॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामभारत संघ और अन्य ।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने**,**

अभिनिर्धारित किया **:1.1** न तो उपायुक्त ने और न ही न्यायाधिकरण ने और न ही उच्च न्यायालय ने भी निर्धारिती के धनवापसी के दावे को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि की है। शुरुआत में**,** यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निर्धारिती को लौटाए गए माल के मूल्य पर एक अवसर देने और बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद विभाग ने लौटाए गए माल का मूल्य **8** रुपये से **10** रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया। निर्धारिती द्वारा लौटाए गए माल के मूल्य पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया था।निर्धारिती ने केवल द्वितीयक बाजार के संबंध में चालान प्रस्तुत किए।हालाँकि**,** यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लौटाए गए माल का मूल्य विनिर्मित माल में पाए जाने वाले दोषों पर निर्भर करता है जो लौटाए जाते हैं।यह दोषों को देखते हुए भिन्न होता है।कुछ लौटाई गई वस्तुओं में दोष **5** प्रतिशत हो सकता है और कुछ वस्तुओं में दोष **80** प्रतिशत से **90** प्रतिशत हो सकता है। इसलिए**,** निर्धारिती को लौटाए गए माल की प्रत्येक खेप के संबंध में साक्ष्य का नेतृत्व करना होता है**,** जिसे निर्धारिती वर्तमान मामले में साबित करने में विफल रहा।विभाग ने बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट पर बहुत अधिक भरोसा किया और उसके बाद वापस किए गए माल का मूल्य **8** रुपये से **10** रुपये प्रति किलोग्राम की दर से स्क्रैप के रूप में निर्धारित किया। निर्धारिती ने उपायुक्त के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया।निर्धारिती ने न तो बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति माँगी और न ही बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कोई प्रतिपरीक्षा मांगी और न ही लौटाए गए माल के मूल्य पर कोई ठोस साक्ष्य दिया।बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट की आपूर्ति न होने की ऐसी शिकायत

विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष भी नहीं उठाई गई थी।इसलिए, इसके बाद निर्धारिती के लिए यह खुला नहीं है कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट की आपूर्ति न होने के संबंध में मुद्दा उठाए।**[**पैरा **3] [224-**एफ**-**एच**; 225-**ए**-**सी**]**

/

/

/

/

/

1.2 निर्धारिती की ओर से यह निवेदन कि लौटाया गया माल उत्पादों के निर्माण के लिए पुनः प्रयोज्य हो सकता है और इसलिए कच्चे माल के मूल्य पर धनवापसी के लिए मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से विचार किया जा सकता है, किसी भी वैधानिक प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं है, विशेष रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा **173** एल और/या

/

/

/

यहाँ तक कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम भी।इसलिए, धारा **173** एल के अंतर्गत धनवापसी के मूल्य पर विचार करने के उद्देश्य से जो विचार किया जाना आवश्यक है वह है लौटाए गए माल का मूल्य।धारा **173** एल के खंड **(**वी**)** के स्पष्टीकरण के अनुसार, "मूल्य" का अर्थ है उत्पाद शुल्क से प्राप्त वस्तु का बाजार मूल्य, न कि उसका शुल्क मूल्य।इसलिए, निर्धारिती की ओर से यह निवेदन कि लौटाए गए माल को कच्चे माल के रूप में माना जा सकता है और इसलिए धारा **173** एल के अंतर्गत धनवापसी का निर्धारण करते समय कच्चे माल के "मूल्य" पर "मूल्य" के उद्देश्य से विचार किया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।चूंकि उपायुक्त द्वारा **8** रुपये से **10** रुपये प्रति किलोग्राम पर निर्धारित लौटाए गए माल का मूल्य पहले से भुगतान की गई शुल्क राशि से कम पाया जाता है, इसलिए अपीलार्थी को भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी से इनकार कर दिया जाता है।धनवापसी से इनकार करना केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा **173** एल **(**वी**)** के अनुरूप है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा लौटाए गए माल के मूल्य पर समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं जिनमें इस न्यायालय द्वारा वर्तमान कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से जब निर्धारिती को अवसर देने के बाद उपायुक्त/मूल्यांकन

प्राधिकरण द्वारा इसका निर्धारण किया गया था।**[**पैरा **4,4.1** और **5] [225-**सी**-**डी**;** **226-**बी**-**ई**]**

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2010 की सिविल अपील सं. 6144।

/

जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय के 2004 के अन्य कर संदर्भ सिविल सं. 26 के निर्णय और आदेश से।

/

सुश्री क्रिस्टी जैन, पुनीत जैन, सुश्री शिप्रा सिंह, योगित कामत, उमंग मेहता, सुश्री श्रुति सिंह, मान अरोड़ा, सुश्री प्रतिभा जैन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एन. वेंकटरमन, ए. एस. जी., अरिजीत प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. के. मारोरिया, एच. आर. राव, रुपेश कुमार, उदय खन्ना, श्रीमती अनिल कटियार, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

/

/

223

मेसर्स पीसॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामभारत संघ और अन्य ।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. 2004 के कर संदर्भ दीवानी (आईडी2) में जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक (आईडी1) से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, विक्रेता-निर्धारिती ने वर्तमान अपील दायर की है।

/

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

2.1 कि अपीलार्थी-निर्धारिती प्लास्टिक से बने फर्नीचर का निर्माता है।निर्धारिती ने उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए दावा प्रस्तुत किया, इसके अस्वीकार किए गए सामान को स्वीकार करने के आधार पर, इसके वितरकों द्वारा उसे वापस कर दिया गया, जिसके लिए उसने पक्षों को क्रेडिट नोट जारी किए थे।

/

2.2 निर्धारिती की ओर से यह मामला था कि निर्धारिती केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 173-एल और उसके अंतर्गत नियम, 1944 के अंतर्गत लौटाए गए माल के मूल्य की सीमा तक धनवापसी का हकदार है।निर्धारिती की ओर से यह मामला था कि वापसी के उद्देश्य के लिए मूल्य पर पुरानी वस्तुओं के रूप में लौटाए गए माल के बाजार मूल्य पर विचार करने के बाद विचार किया जाएगा।वैकल्पिक रूप से, निर्धारिती की ओर से यह मामला था कि चूंकि लौटाए गए माल का कच्चे माल के रूप में फिर से उपयोग किया जा सकता है, इसलिए कच्चे माल का मूल्य धनवापसी के उद्देश्य के लिए मूल्य हो सकता है।उपायुक्त द्वारा कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था।निर्धारिती को लौटाए गए माल के मूल्य पर पर्याप्त अवसर दिया गया था। निर्धारिती ने पुराने सामान के चालान प्रस्तुत किए लेकिन वापस किए गए सामान के मूल्य पर कोई सबूत नहीं दिया।हालांकि, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार करते हुए मूल्यांकन अधिकारी/उपायुक्त ने वापस किए गए सामान का मूल्य 8 रुपये से 10 रुपये प्रति किलोग्राम आंका, जिसे कबाड़ माना जाता है।इसके बाद, यह पाया गया कि लौटाए गए माल का मूल्य कारखाने से उनकी मंजूरी के समय मूल रूप से भुगतान की गई शुल्क राशि से कम होना था, निर्धारिती धारा 173-एल (वी) पर विचार करते हुए धनवापसी का हकदार नहीं होगा।2.3 निर्धारिती ने उपायुक्त द्वारा विद्वत न्यायाधिकरण के समक्ष धनवापसी से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी।विद्वत न्यायाधिकरण ने अपील को खारिज कर दिया।निर्धारिती के कहने पर उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया था।उच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारिती की ओर से यह मामला था कि द्वारा पारित आदेश

/

/

/

/

/

224

/

/

आकलन प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा था क्योंकि बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति निर्धारिती को नहीं दी गई थी।निर्धारिती की ओर से यह भी मामला था कि विभाग ने लौटाए गए माल को गलत तरीके से कबाड़ के रूप में माना और इस तरह से लौटाए गए माल के मूल्य पर 8 रुपये से 10 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने में गंभीर त्रुटि की और इस तरह निर्धारिती को धनवापसी से इनकार कर दिया।

/

2.4 आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने संदर्भ को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विभाग द्वारा 8 रुपये से 10 रुपये प्रति किलोग्राम पर निर्धारित मूल्य साक्ष्य के मूल्यांकन और निर्धारिती को अवसर देने के बाद और बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट (रिपोर्ट) पर भरोसा करने पर था, जिसे न तो निर्धारिती द्वारा पूछा गया था और न ही निर्धारिती द्वारा चुनौती दी गई थी और 8 रुपये से 10 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य के निर्धारण को तथ्य पर प्रश्न कहा जा सकता है और संदर्भ में इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

/

2.5 उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश में यह भी कहा है कि न्यायाधिकरण के समक्ष भी बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति नहीं दिए जाने और/या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कथित उल्लंघन के बारे में कोई प्रस्तुति नहीं दी गई थी।इसके बाद आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने संदर्भ को खारिज कर दिया है।3. श्री पुनीत जैन को सुश्री क्रिस्टी जैन के साथ सुनने के बाद, अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील और श्री एन. वेंकटरमन, राजस्व की ओर से पेश हुए विद्वान ए. एस. जी. और उपायुक्त/निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश और उपायुक्त द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि न तो उपायुक्त, न ही न्यायाधिकरण या यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी निर्धारिती के धनवापसी दावे को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है।शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निर्धारिती को लौटाए गए माल के मूल्य पर एक अवसर देने और बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद विभाग ने लौटाए गए माल का मूल्य 8 रुपये से 10 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया। निर्धारिती द्वारा लौटाए गए माल के मूल्य पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया था।निर्धारिती ने केवल द्वितीयक बाजार के संबंध में चालान प्रस्तुत किए। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि लौटाए गए माल का मूल्य विनिर्मित माल में पाए जाने वाले दोषों पर निर्भर करता है जो लौटाए जाते हैं।यह दोषों को देखते हुए भिन्न होता है।कुछ लौटाई गई वस्तुओं में दोष 5 प्रतिशत हो सकता है और कुछ वस्तुओं में दोष 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत हो सकता है।इसलिए, निर्धारिती को लौटाए गए माल की प्रत्येक खेप के संबंध में साक्ष्य का नेतृत्व करना होता है, जिसे ए

/

/

/

/

/

225

मेसर्स पीसॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामभारत का संघ और

ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

निर्धारिती वर्तमान मामले में साबित करने में विफल रहा।विभाग ने बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट पर बहुत अधिक भरोसा किया और उसके बाद वापस किए गए माल का मूल्य 8 रुपये से 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से स्क्रैप के रूप में निर्धारित किया। निर्धारिती ने उपायुक्त के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया।निर्धारिती ने न तो बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति माँगी और न ही बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कोई प्रतिपरीक्षा माँगी और/या लौटाए गए माल के मूल्य पर कोई ठोस साक्ष्य दिया।बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट की आपूर्ति न होने की ऐसी शिकायत विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष भी नहीं उठाई गई थी।इसलिए, इसके बाद निर्धारिती के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट की आपूर्ति न होने के संबंध में मुद्दा उठाने का अधिकार नहीं है।

/

/

4. निर्धारिती की ओर से यह निवेदन कि लौटाया गया माल उत्पादों के निर्माण के लिए पुनः प्रयोज्य हो सकता है और इसलिए कच्चे माल के मूल्य पर धनवापसी के लिए मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से विचार किया जा सकता है, किसी भी वैधानिक प्रावधान, विशेष रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 173-एल और/या यहां तक कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों द्वारा समर्थित नहीं है।केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 173-एल निम्नानुसार हैः

/

“173-एल. कारखाने को लौटाई गई वस्तुओं पर शुल्क की वापसी।- (आई)

कलेक्टर एक कारखाने से घरेलू उपभोग के लिए जारी किए गए निर्मित उत्पाद शुल्क का भुगतान कर सकता है, जिसे उसी या किसी अन्य कारखाने में पुनर्निर्मित, परिष्कृत, पुनर्निर्धारित या कारखाने में किसी अन्य समान प्रक्रियाओं के अधीन होने के लिए वापस कर दिया जाता है।

/

बशर्ते कि:-

XXX XXX (2) XXX XXX

/

(3) उप-नियम (1) के अंतर्गत तब तक कोई धनवापसी नहीं की जाएगी जब तक कि उसमें उल्लिखित प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है और कारखाने में माल की वापसी के छह महीने के भीतर उप-नियम के अंतर्गत एक खाता कलेक्टर की संतुष्टि के लिए प्रदान नहीं किया जाता है।भुगतान किए गए शुल्क के संबंध में कोई धनवापसी स्वीकार्य नहीं होगी:-

/

(i) से (iv) XXX

XXX

XXX

(v) यदि कारखाने में उनकी वापसी के समय माल का मूल्य, कलेक्टर की राय में, की राशि से कम है

/

226

/

[2022] 11 एस सी आर।

मूल रूप से कारखाने से उनकी मंजूरी के समय उन पर भुगतान किया गया शुल्क,

स्पष्टीकरण-इस खंड में, "मूल्य" का अर्थ है उत्पाद शुल्क से छूट वाली वस्तु का बाजार मूल्य, न कि उसका पूर्व शुल्क मूल्य।''

4.1 इसलिए, धारा 173-एल के अंतर्गत धनवापसी के मूल्य पर विचार करने के उद्देश्य से जो विचार किया जाना आवश्यक है वह है लौटाए गए माल का मूल्य।धारा 173-एल के खंड (वी) के स्पष्टीकरण के अनुसार, "मूल्य" का अर्थ है उत्पाद शुल्क से प्राप्त वस्तु का बाजार मूल्य, न कि उसका पूर्व शुल्क मूल्य।इसलिए, निर्धारिती की ओर से यह निवेदन कि लौटाए गए माल को कच्चे माल के रूप में माना जा सकता है और इसलिए धारा 173-एल के अंतर्गत धनवापसी का निर्धारण करते समय कच्चे माल के "मूल्य" पर "मूल्य" के उद्देश्य से विचार किया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।5. चूंकि उपायुक्त द्वारा 8 रुपये से 10 रुपये प्रति किलोग्राम

पर निर्धारित लौटाए गए माल का मूल्य पहले से भुगतान की गई शुल्क राशि से कम पाया जाता है, इसलिए अपीलार्थी को भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की वापसी से इनकार कर दिया जाता है।धनवापसी से इनकार करना केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 173-एल (वी) के अनुरूप है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा लौटाए गए माल के मूल्य पर समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं जिनमें इस न्यायालय द्वारा वर्तमान कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से जब निर्धारिती को अवसर देने के बाद उपायुक्त/मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा इसका निर्धारण किया गया था।

/

/

/

/

6. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और उसी को खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

/

/